

शासन सचिव, ग्रामीण विकास द्वारा ली जाने वाले समीक्षा बैठक दिनांक
19.05.2015 के लिये अतिरिक्त एजेन्डा बिन्दू

1. सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना में वर्ष 2014-15 में 15 के दौरान 16वीं लोकसभा में व्यय शून्य दर्शाया गया है।

(अति. मुख्य अभियन्ता, एसएपी)

माह अप्रैल, 2015 की प्रगति समीक्षा

1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में वर्ष 2015-16 में 175 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध 120 करोड़ रुपये का आवंटन दर्शाया गया है।

(पीडी एसएपी-एसएस)

2. बीएडीपी योजना में वर्ष 2015-16 में शून्य आवंटन दर्शाया है। जबकि 137 करोड़ रुपये का आवंटन है।

(अति. मुख्य अभियन्ता, एसएपी)

3. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में प्रारम्भिक शेष शून्य दर्शाया गया है। जबकि मार्च, 2015 के अनुसार अन्तिम शेष 322.03 करोड़ रुपये है।

(पीडी एसएपी-एसएस)

4. मेवात योजना में आवंटन 60 करोड़ रुपये है। जबकि आईडब्ल्यूएमएस में 46.19 करोड़ रुपये दर्शाया गया है।

(अति. मुख्य अभियन्ता, एसएपी)

5. गुरु गोलवलकर जनभागीदारी योजना में 100 करोड़ रुपये के आवंटन के विरुद्ध 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(पीडी एम एण्ड ई)

6. डाग एवं मगरा योजना में प्रत्येक में 50 करोड़ रुपये के आवंटन के विरुद्ध क्रमशः 38.01 एवं 38.25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

(अति. मुख्य अभियन्ता, एसएपी)

व्यय की स्थिति :- (माह अप्रैल, 2015 की)

1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में केवल सात जिलों द्वारा ही व्यय दर्शाया गया है। शेष जिलों द्वारा कोई व्यय नहीं दर्शाया गया है।

पीडी एसएपी-एसएस)

2. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में 19 जिलों द्वारा ही व्यय दर्शाया गया है। शेष 14 जिलों द्वारा कोई व्यय नहीं दर्शाया गया है।

(पीडी एसएपी-एसएस)

3. डाग स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में 8 में से केवल 4 जिलों द्वारा ही व्यय दर्शाया गया है।

(अति. मुख्य अभियन्ता, एसएपी)

4. मगरा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में 5 में से 3 जिलों द्वारा ही व्यय दर्शाया गया है।

(अति. मुख्य अभियन्ता, एसएपी)

5. मेवात स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में किसी भी जिलें द्वारा ही व्यय नहीं दर्शाया गया है।

(अति. मुख्य अभियन्ता, एसएपी)

6. स्व-विवेक जिला विकास योजना में केवल 5 जिलों द्वारा ही व्यय दर्शाया गया है। शेष सभी जिलों द्वारा कोई व्यय नहीं बताया है।

(अति. मुख्य अभियन्ता, एसएपी)

7. गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना में केवल 9 जिलों द्वारा ही व्यय दर्शाया गया है। शेष सभी जिलों द्वारा कोई व्यय नहीं बताया है।

(पीडी एम एण्ड ई)

योजनाओं में उपलब्ध प्रशासनिक मद की राशि की सूचना एवं आगामी व्यय की कार्य योजना

(समस्त योजना प्रभारी)

स्वालम्बन योजना की मोबाईल एप की प्रगति की सूचना

(पीडी एम एण्ड ई)

सभी योजनाओं में 01.04.2014 से पहले के अपूर्ण कार्यों की कार्यवार सूचना आईडब्ल्यूएमएस सॉफ्टवेयर पर अपलोड नहीं किया गया है। जिसे 31 मई, 2015 तक पूर्ण करावें।

(समस्त योजना प्रभारी)